

440-3

8/10

अरविन्द सिंह ह्याकी,
प्रमोदी सायब,
उत्तराखण्ड शासन।

संज्ञा नं.

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून: दिनांक 07-जून-2010

साक निर्माण अनुभाग-2

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 09 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

नडादय,

उपयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये दिनिन 10 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 25.40 किमी0 + 02 सेंतु तथा लागत ₹ 199.42 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अधिलेखपूर्ण पाई गई लागत ₹ 199.42 लाख (एक करोड़ निम्नानवे लाख बचालीस हजार नव) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में सलग्नक के कोलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 09 कार्यों हेतु ₹ 0.90 लाख (एक नब्बे हजार मात्र) को धनराशि व्यय हेतु आपक निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा सन्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जावेगा तदोपरांत शासनादेश सं0:-1764/11(2)/10-17(सान्ध)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो देय श्रेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में वृद्ध हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के नथ्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सन्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन नदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रायद्वीपमन्त रुल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्मित समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैन्युअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्मित आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीशक-5054 संडकों तथा संतुओं पर पूजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य संडक-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-संडक/भवन/संतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित नियतन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

27/10/20

2009/16/16

सहायक अभियन्ता
निर्माण कार्य
दिनांक 07-06-2010

①②

100

की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अनुसार कार्यवाही की जाय।

प्र. ३३—श्री. गणेश शिव गजमाला-२ के असासकीय संस्था-११४(अ)/XXVII/2/2015 दिनांक- ३१ मई, २०१६

12/2/2011

सहायक अभियंता
निर्याण ७७७
भवदीय.

भवदीय,
(अरविन्द सिंह हयाँकी)
प्रमारी सचिव

19

१. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, नाजरा देहरादून।

2. आपुपरा, कानन/मुनू
3. सम्यचिह्न जिशधिकारी उत्तरखण्ड।

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

16

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

Photo copy attached

सहायक प्रभार ()
निर्वाहक सचिव ()
प्रमुख ()

सामान्यतः रु. - 1670 / 1127 / 10-89/प्र.अ.अ. / 2015 दिनांक 3 जून 2016 का सत्र नक

(धनराशि लाख र में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत।	चाहू विस्तीर्ण वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत भारीस्थीपुरम महड डोबरा मार्ग से ग्राम पंचायत नवागर के अन्तर्गत गैर बागी नामे तक की जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.50	36.25	0.10
2	जनपद बनौली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत चरबग से महादेव ताल तक लिक सड़ का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	63.50	0.10
3	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र-चकसता के अन्तर्गत चौब्या चम्बू मोटर मार्ग से डाडस, सिंहदरौली, मण्डर, बार्न के पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	0.82	0.10
4	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र-चकसता के अन्तर्गत दुणवा बेंड से कोटीपारा होयला बनीपारा, हिडका, गोणा कलैया बस्ती मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	42.56	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बंडेध के अन्तर्गत शत्या नामे तक में 27.00 मी. विस्तार के पैदल लोह सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	27 mtr.	1.73	0.10
6	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत धर्म बंडेत बाफिला मोटर मार्ग के किमी. 2 से कमदौना-बगदौली-बजेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	47.20	0.10
7	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाईगी के अन्तर्गत कोटबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डगांव में गोलघर मन्दिर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.500	0.50	0.10
8	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगाव के अन्तर्गत तिराणी पैदल मार्ग के हनुमान गंगा पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	54 mtr.	2.16	0.10
9	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनताली के विकास खण्ड भिल्लुगना के अन्तर्गत बुडाकेदार अयास्खाल लिक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.40	4.70	0.10
	योग:-	25.40 +	199.42	0.90

(कुल र नब्बे हजार मात्र)

प्रमाणित
महापंचायत
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
रामनगर

(९०एस्०पांगलो)

उप सचिव

पञ्च जलपान विभाग वर - 20/10/2017

Secretary, PWD (S038)

आवृत्ति नं संख्या - 1870/III(2)/16-19(P.E.)/2016

आवृत्ति नं संख्या - 022

अलॉटमेंट आई डी - S1606220052

आवृत्ति नं संख्या - 03-Jun-2016

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

04 - विभाग वर वर

800 - प्रकल्प वर

02 - वर निर्माण वर

S034 - वर वर वर वर वर वर वर वर

03 - वर वर वर

Plan Voted

वर्ग	वर्ग में जारी	वर्ग में जारी	वर्ग
14 - वर वर वर	1040000	90000	1130000
			1130000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 90000

हस्ताक्षरित सत्यापित

(अरविन्द सिंह पागली)

महाक अभियन्ता सचिव, लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
रामनगर